

डिकरी व मुकदमें ईब्लदाई  
(सिविल प्रोसिजर कोर्ड एनिन्डिक्स ए )

अज-अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज0)  
बईजलास- अश्विन के. पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 22/2020

दायर दिनांक-25.08.2020

निर्णय दिनांक:- 22.04.2021

श्री जितेन्द्र कुमार पिता मुकीलालजी मीणा उम्र बालिग निवासी बालदिया तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

**बनाम**

- 1- श्री रमेश पिता नाथू मीणा उम्र बालिग
2. श्री पन्नालाल पिता नाथू मीणा उम्र बालिग
3. श्री कावा पिता नाथू मीणा उम्र बालिग
4. श्री लाला पिता नाथू मीणा उम्र बालिग
5. श्रीमती हांजू पुत्री नाथू मीणा उम्र बालिग
6. श्रीमती आशा पुत्री नाथू मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
7. श्री सुरज पिता धूला मीणा उम्र बालिग
8. श्री रामू पिता धुला मीणा उम्र बालिग
9. श्रीमती मणी पुत्री धूला मीणा उम्र बालिग
10. श्रीमती वरजु बेवा धुला मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
11. श्री प्रभु पिता लक्ष्मण मीणा उम्र बालिग
12. श्री नारायण पिता लक्ष्मण मीणा उम्र बालिग
13. श्रीमती शारदा पुत्री लक्ष्मण मीणा उम्र बालिग
14. श्रीमती मंजु पुत्री लक्ष्मण मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
15. श्री मणिराम पिता रामजी मीणा उम्र बालिग
16. श्री दशरथ पिता रामजी मीणा उम्र बालिग
17. श्री शंकर पिता रामजी मीणा उम्र बालिग
18. श्री वरजु बेवा रामजी मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
19. श्री प्रकाश पिता पूंजा मीणा
20. श्रीमती विमला पुत्री पूंजा मीणा
21. श्रीमती अनिता पुत्री पूंजा मीणा
22. श्रीमती कल्पना पुत्री पूंजा मीणा
23. श्रीमती सुशीला पुत्री पूंजा मीणा
24. श्रीमती मीनाक्षी पुत्री पूंजा मीणा उम्र प्रतिवादी नं. 19 से 24 नाबालिग बवलायत माता श्रीमती सोमली बेवा पूंजा मीणा प्रति. नं. 25
25. श्रीमती सोमली बेवा पूंजा मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
26. श्री मनजी पिता बदा मीणा उम्र बालिग
27. श्रीमती पार्वती पुत्री बदा मीणा उम्र बालिग
28. श्रीमती गौरी पुत्री बदा मीणा उम्र बालिग
29. श्रीमती शान्ता बेवा बदा मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
30. श्री कमला पिता काला मीणा उम्र बालिग निवासी शिशोद फला वागदरी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज.)
31. श्री लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज.)

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188/53 ए /209 आर.टी.ए. एक्ट एवं 136 ले.रे.

**ऐक्ट**

- 1- वकील श्री भगवान पटेल
- 2- वकील श्री कृष्णराज सिंह एवं राव जितेन्द्रसिंह

यह मुकदमा आज वास्तें इनफिसल कतई रूबरू अश्विन के.पवार आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री भगवान पटेल, श्री कृष्णराजसिंह एवं श्री राव जितेन्द्रसिंह पेश होकर हुकम दिया जाता है व प्रारम्भिक डिक्री दी जाती है कि:-

मोजा शिशोद पटवार मण्डल शिशोद तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर में वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खाते की आराजीयात संवत् 2070-73 क खाता नं0 नया 483 एवं पुराना 429 की स्थित हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है-


*X*

खसरा सं.	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
3532	0.04	बीड	0.02
3533	1.03	सु. II	0.86
3534	0.14	रास्ता	—
3536	3.16	सु. I	3.23
3537	0.14	सु. I	0.60
3542	1.00	सुखी II	0.75
3545	1.16	रा. I	0.45
3546	4.18	म. बीड	0.29
योग - 8	14.05	—	6.05


मौजा शिशोद में स्थित खाता नं० 483/429 की आराजीयात में वादी का कय किया गया हिस्सा मौक पर कब्जे एवं रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण के संयुक्त खात से बटवारा स्कीम के तहत अलग करवाया जाकर खाता वादी का अलग कायम किये जान की डिक्री प्रदान की जाना फरमावे।

उक्त प्रकरण में मौजा वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खाते की आराजीयात संवत् 2070-73 क खाता नं० नया 483 एवं पुराना 429 में वर्णित कुल किता 08 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा में वर्णित हिस्से अनुसार (जमाबन्दी अनुसार) भूमि का **Meats & Bounds** के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बटवारा करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिछीवाडा को आदेशित किया जाता है बटवारा स्विम तैयार कर न्यायालय में भिजवाने तहसीलदार, बिछीवाडा को लिखा जावे।

मेरे हस्ताक्षर एवं मुहर अदालत के आज दिनांक 22.04.2021 को जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिछीवाडा

मुदबई	रूपया/पैसा	मद्दायला	रूपया/पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीशनर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00	स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूते मेहनताना वकील फीस कमीशनर खर्चा गवाहान बाबत इजराय मुत्तफरीक	00

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिछीवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिछीवाडा (राज०)  
पीठासीन अधिकारी, अश्विन के पंवार आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या- 22/2020

दायर दिनांक-25.08.2020

निर्णय दिनांक- 22.04.2021

श्री जितेन्द्र कुमार पिता मुकौलालजी मीणा उम्र बालिग निवासी बालदिया तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर (राज.)

**बनाम**

- 1- श्री रमेश पिता नाथू मीणा उम्र बालिग
2. श्री पन्नलाल पिता नाथू मीणा उम्र बालिग
3. श्री कावा पिता नाथू मीणा उम्र बालिग
4. श्री लाला पिता नाथू मीणा उम्र बालिग
5. श्रीमती हाजू पुत्री नाथू मीणा उम्र बालिग
6. श्रीमती आशा पुत्री नाथू मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
7. श्री सुरज पिता धूला मीणा उम्र बालिग
8. श्री रामू पिता धूला मीणा उम्र बालिग
9. श्रीमती मणी पुत्री धूला मीणा उम्र बालिग
10. श्रीमती वरजु बेवा धूला मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
11. श्री प्रभु पिता लक्ष्मण मीणा उम्र बालिग
12. श्री नारायण पिता लक्ष्मण मीणा उम्र बालिग
13. श्रीमती शारदा पुत्री लक्ष्मण मीणा उम्र बालिग
14. श्रीमती मजु पुत्री लक्ष्मण मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
15. श्री मणिराम पिता रामजी मीणा उम्र बालिग
16. श्री दशरथ पिता रामजी मीणा उम्र बालिग
17. श्री शंकर पिता रामजी मीणा उम्र बालिग
18. श्री वरजु बेवा रामजी मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
19. श्री प्रकाश पिता पुंजा मीणा
20. श्रीमती विमला पुत्री पूंजा मीणा
21. श्रीमती अनिता पुत्री पूंजा मीणा
22. श्रीमती कल्पना पुत्री पूंजा मीणा
23. श्रीमती सुशीला पुत्री पूंजा मीणा
24. श्रीमती मोनाक्षी पुत्री पूंजा मीणा उम्र प्रतिवादी नं. 19 से 24 नाबालिग बवलायत माता श्रीमती सोमली बेवा पूंजा मीणा प्रति. नं. 25
25. श्रीमती सोमली बेवा पूंजा मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
26. श्री मनजी पिता बदा मीणा उम्र बालिग
27. श्रीमती पार्वती पुत्री बदा मीणा उम्र बालिग
28. श्रीमती गौरी पुत्री बदा मीणा उम्र बालिग
29. श्रीमती शान्ता बेवा बदा मीणा उम्र बालिग निवासीयान शिशोद फला वागदरी
30. श्री कमला पिता काला मीणा उम्र बालिग निवासी शिशोद फला वागदरी तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज.)
31. श्री लैण्ड होल्डर तहसीलदार बिछीवाडा जिला डूंगरपुर(राज.)

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188/53 ए /209 आर.टी.ए. एक्ट एवं 136 ले.रे. एक्ट

उपस्थित-

- 1-वकील श्री भगवान पटेल
- 2- वकील श्री कृष्णराज सिंह एवं श्री राव जितेन्द्रसिंह

**:: निर्णय ::**

वद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मोजा शिशोद पटवार मण्डल शिशोद तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर में वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खाते की आराजीयात संवत् 2070-73 क खाता नं० नया 483 एवं पुराना 429 की स्थित हैं। जिसका विवरण निम्नानुसार है-

खसरा सं.	क्षेत्रफल	किस्म	लगान
3532	0.04	बीड	0.02

*(Handwritten signature)*

35.33	1.03	शु 11	0.60
35.34	0.14	शरत्ता	
35.36	3.16	शु 1	3.23
35.37	0.14	शु 1	0.60
35.42	1.00	शुल्की 11	0.75
35.45	1.16	श 1	0.45
35.46	4.18	म वीड	0.29
योग - 8	14.05		6.05

यह की वादी द्वारा उपरोक्त खाते में स्थित प्रतिवादी नं० 15 मणीलाल का 1/20 एवं प्रतिवादी नं० 28 श्रीमति गौरी का 1/16 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये कय कर कब्जा प्राप्त किया है। कब्जे क आधार पर ही वादी का नामन्तकरण संख्या 2505 से खाता कायम हो चुका है। प्रतिवादीगण नं० 15 एवं 28 क बीच आपकीस बटवारा होकर सभी सह खातदार आपसी बटवारा अनुसार अपने अपने हिस्सों पर काबिज होकर काश्त करते हुए आ रहे है।


गौजा शिशोद में स्थित खाता नं० 483/429 की आराजीयात में वादी का कय किया गया हिस्सा मौक पर कब्जे एवं रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण के संयुक्त खात से बटवारा रकीम के तहत अलग करवाया जाकर खाता वादी का अलग कायम किये जान की डिकी प्रदान की जाना फरमावे।

वाद प्रस्तुत होने पर न्यायालय हांजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादियों द्वारा ककालात नामा पेश किया गया। प्रकरण प्रतिवादी संख्या 16, 29 एवं 31 क विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 10 के नाम सम्मन इस आशय के बात तामिल प्राप्त हुआ की फोट हो गयी है। जिसके विधिक वारिशन पूर्व से ही जमाबंदी में दर्ज है। तथा प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 पर नाम दर्ज है। इस संबंध में वकील वादी एवं प्रतिवादी वकील द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति नही की है। प्रारम्भिक डिकी जारी करने की सहमति प्रदान की गई है।

उक्त प्रकरण में गौजा शिशोद पटवार मण्डल शिशोद तहसील बिछीवाडा जिला डूंगरपुर में वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खाते की आराजीयात संवत् 2070-73 क खाता नं० नया 483 एवं पुराना 429 में वर्णित कुल किता 08 रकबा 14 बीघा 05 बिस्वा में वर्णित हिस्से अनुसार

(जमाबन्दी अनुसार) भूमि का **Meats & Bounds** के आधार पर बटवारा करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिछीवाडा को आदेशित किया जाता है कि प्रश्नगत आराजी सम्पूर्ण खातेदारों को पूर्व में लिखित सुचना देकर नियत तारीख को स्वयं की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18-21 के अनुसार कुरेजात रिपोर्ट गय नजरिया बटवारा, नक्शा जिसमें सभी खातेदारों को हक हिस्सा अलग-अलग दर्शित हो एवं सभी खातेदारों के हस्ताक्षर कर न्यायालय में पेश किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2021 को सरेईजलसा सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
बिछीवाडा